

वित्तीय दिशा निर्देश 2012–13

कार्यक्रम का नाम— परिवार नियोजन कार्यक्रम हेतु POL for FP/Others

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या— A.3.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण —

परिवार नियोजन आपरेशन कार्यक्रम जिलों में कैम्प Mode में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक जिले में सभी PHC पर प्रशिक्षित सर्जन तथा एनेस्थिटिस उपलब्ध नहीं हैं अतः जिला स्तर पर गठित टीम को बारी बारी से PHC तक भेज कर कैम्प मोड में परिवार नियोजन का ऑपरेशन किया जाता है। POL की राशि का उपयोग Mobility, Monitoring etc. में किया जा सकता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर द्वारा अनुश्रवण भी आवश्यक है।

इकाई राशि कुल राशि (रु० में)– 2000/- प्रति प्रांस्वांकेन्द्र

5000/- प्रति जिला स्तर पर व्यय के लिए

वित्तीय दिशा निर्देश—

इस राशि का व्यय निम्नलिखित गतिविधियों पर किया जाना है—

- 1 सिविल सर्जन/ACMO/परिवार कल्याण नोडल पदाधिकारी द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत मूल्यान्कन के उद्देश्य से क्षेत्र भ्रमण के लिए।
- 2 राज्य दवा भण्डार, गुलजारबाग, पटना/राज्य स्वास्थ्य समिति से जिला तक, तथा जिला स्तर से प्रांस्वांकें/उपकेन्द्र तक गर्भनिरोधकों का परिवहन
- 3 जिला स्वास्थ्य समिति अपने स्तर से निर्णय लेकर Non-Performing प्रखंड की राशि ऐसे प्रखंड को हस्तान्तरित कर सकते हैं, जहाँ अधिक राशि व्यय हो रही हो।
- 4 निष्कर्ष 1 सिविल सर्जन/ACMO/परिवार कल्याण नोडल पदाधिकारी/ द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के मूल्यान्कन के उद्देश्य से क्षेत्र भ्रमण हेतु।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप-निदेशक का नाम – डॉ० ए. के., शाही, /सुबोध जायसवाल
संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप-निदेशक का फोन नं० : 9470003017/ 9431005971

S Kumar

✓

Q

Q